पत्रांक–7/वि॰प॰–27/2002 का॰– 1794 अनु॰प॰

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

एस0के0 शतपथी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

रांची, दिनांक 04/04/2007

विषय : जनजातीय भाषा की परीक्षा में अनिवार्य रूप से उत्तीर्णता प्राप्त करने के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि नियुक्ति विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–591 दिनांक 07.08.1953 में निहित प्रावधान के अनुसार जन–जातीय क्षेत्रों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को पदस्थापन के पश्चात् 18 माह की अवधि में किसी एक जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त कर लेना अनिवार्य था। उक्त प्रावधान दिनांक 01.09.1953 से प्रभावी था एवं इसके अनुसार उक्त अवधि में जनजातीय भाषा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं करने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों/कर्मचारियों की वेतन वृद्धि अवरूद्ध हो जाती थी एवं जैसे ही उनका पदस्थापन जनजातीय क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में होता था, वैसे ही उनकी वेतन वृद्धि पुनः स्थापित कर दी जाती थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी सरकार द्वारा जनजातीय क्षेत्रों के लिए निर्धारित कल्याणकारी एवं विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन हेतु जनजातीय क्षेत्रों के लोगों से समुचित तालमेल बैठाकर उन योजनाओं को बेहतर ढंग से लागू कर सके।

2. झारखण्ड राज्य के गठन के पूर्व जनजातीय भाषा की परीक्षा संथाल परगना एवं छोटानागपुर प्रमण्डल के प्रमण्डलीय कार्यालय द्वारा संचालित की जाती थी, जिसमें नियुक्ति विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3463 दिनांक 15.04.1955 (छाया प्रति

संलग्न) में अंकित सेवा/संवर्ग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मिलित होकर उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य था।

3. झारखण्ड राज्य के गठन के पश्चात् कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची के संकल्प ज्ञापांक–3372 दिनांक 18.06.2003 के द्वारा केन्द्रीय परीक्षा नियमावली का गठन करते हुए सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए किसी एक जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। उक्त नियमावली में निहित प्रावधान एवं दिनांक 12.11.2003 को सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में आहूत केन्द्रीय परीक्षा समिति की बैठक में लिये गए निर्णय के आलोक में सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए जनजातीय भाषा की परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद् की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा होने लगा है। फलतः प्रमण्डलीय आयुक्त के स्तर से आयोजित होने वाली जनजातीय भाषा की परीक्षा स्थगित हो गई तथा संबंधित विभाग एवं अन्य कार्यालयों से अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए जनजातीय भाषा की परीक्षा आयोजित करने के संबंध में दिशा–निर्देश/मार्ग दर्शन की याचना होने लगी। इस प्रकार अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में उक्त परीक्षा का आयोजन राज्य सरकार के विचाराधीन रहा।

4. सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :–

(i) सभी अराजपत्रित कर्मचारियों (सचिवालय संवर्ग को छोड़कर) के लिए जनजातीय भाषा की परीक्षा का आयोजन राजस्व पर्षद् की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा किया जाएगा।

(ii) राजस्व पर्षद् की केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों के लिए जनजातीय भाषा की परीक्षा का आयोजन एक साथ एक ही तिथि को किया जाएगा।

(iii) उक्त परीक्षा का केन्द्र रांची सहित सभी प्रमण्डलीय मुख्यालय में होगा।

(iv) राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों दोनों के लिए उक्त परीक्षा हेतु प्रश्न–पत्र एवं उत्तीर्णांक एक ही होंगे।

(v) जनजातीय भाषा की परीक्षा दो भागों में होगी :–

(क) लिखित परीक्षा (ख) मौखिक परीक्षा

लिखित परीक्षा एवं मौखिक परीक्षा दोनों अलग–अलग 100 अंकों का होगा जिसमें निम्न स्तर से उत्तीर्णता हेतु 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(vi) जनजातीय भाषा की परीक्षा में निम्न स्तर से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

(vii) जनजातीय भाषा की परीक्षा क्रमशः संथाली, मुंडारी, उराँव एवं हो में से किसी एक में ही उत्तीर्णता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(viii) सभी अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक है। अतएव सभी विभाग अपने अधीनस्थ अराजपत्रित कर्मचारियों की भर्त्ती एवं सेवा शर्त्त नियमावली में जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता के प्रावधान को स्पष्ट रूप से अंकित कर देंगे।

5. एतद् विषयक पूर्व में निर्गत सभी अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन,

30.3.2007

(संतोष कुमार शतपथी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक—7/वि0वि0प0—27/2002 का०—1794/रांची, दिनांक 04/04/2007

प्रतिलिपि—विकास आयुक्त, झारखण्ड, रांची/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव/निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची/मुख्य सचिव के सचिव/सचिव, राजस्व पर्षद्, झारखण्ड, रांची को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30.3.2007

सरकार के सचिव।